R-3747-I/12

श्रीमती जमुनी बाई उम्र 55 वर्ष पत्नी श्री राममिलन सिंह कुर्मवंशी पुत्री भगवानदीन कुर्मवंशी निवासी सेमरी कुर्मिहाई तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0 ————————————————निगराकार

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह अधि. द्वारा आज दि. 1-11-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. 1-11-12

विरूद्ध

~~वंशरूप~~ पिता मोतीलाल सिंह कुर्मवंशी सा0 सेमरी कुर्मिहाई वृत्त अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0 ——————————गैरनिगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू – राजस्व संहिता विरूद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0–20 ए.12 / 2011–12 आदेश दिनांक 15.07.2012

**मान्यवर,**

निगराकार निम्न आधार पर उक्त निगरानी पेश कर विनयी है कि:–

## प्रकरण के तथ्य

संक्षेप मे इस प्रकार है कि गैर निगराकार ने आराजी नं0–426 / 1 रकवा 0.10 डि. मौजा कुर्मिहाई वृत्त अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0 के सम्बन्ध मे धारा 129 म0प्र0 कानून माल के तहत सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन दिनांक 14.06.2012 को निगराकार को बिना सूचना दिये ही सीमांकन कर दिया, जानकारी होने पर निगराकार ने सीमांकन पर आपत्ति किया किन्तु आपत्ति पर कोई सुनवाई न

क्रमशः-----2

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-3747-एक/12 **जिला** - सतना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **05/04/2019** | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 20/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**(बी.एम. शर्मा)**<br>**सदस्य** | |